न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 08/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00041

उनवान

नैमीचन्द पुत्र हरचरन जाति जाटव निवासी कस्वा उच्चैन, सब तहसील उच्चैन, भरतपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. भौजराज पुत्र पदमी
2. मौहर सिंह पुत्र सूसरिया
3. विभूतिराम पुत्र नत्थी
4. जसवंत सिंह पुत्र नत्थी
5. सुन्दरलाल पुत्र गंगाधर
6. बनै सिंह } पुत्रान हरेती
7. विशन सिंह }
8. तेज सिंह (मृतक)
   - 8/1 केशन्ती पत्नी
   - 8/2. दिनेश
   - 8/3. गणपत } पुत्र
   - 8/4. संजय
9. करन सिंह } पुत्र हरेती
10. बदन सिंह }

स्व0तेज सिंह

जाति जाटव नि0 उच्चैन, सब त0 उच्चैन, भरतपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

12. प्रमोद कुमार पुत्र हरीचरन }
13. हरीचरन पुत्र नत्थी }

जाति जाटव नि0 उच्चैन, सब त0 उच्चैन, भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2010 प्रकरण संख्या 67/2008 उनवान भोजराज बनाम मौहर सिंह, न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विजय सिंह कुंतल अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–04.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 08.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 02 लगायत 04 एवं तरतीवी रैस्पो0 संख्या 13, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल रकवा 24–07 बीघा, वादी/रैस्पो0 संख्या 01 को अपने पूर्वज पदमी से मिली हुयी सम्पत्ति है। उक्त आराजी में पदमी 3/5 भाग का, 1/5 भाग का हरेती व

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1/5 भाग का गंगाधर हिस्सेदार था। इसी अनुसार तीनों भाईयो ने मनवट बंटवारा कर लिया। सूसरिया व नत्थी उक्त आराजी में ना तो कभी हिस्सेदार थे और ना ही कभी काश्त की, विवादित आराजी में पदमी के हिस्से पर वादी स्वयं, हरेती व गंगाधर के वारिस काश्त कर रहे हैं। परन्तु सहवन से पदमी का 2/5 हिस्सा नत्थी व सूसरिया के नाम राजस्व अभिलेख में चढ गया। जिसकी वादी के पिता पदमी को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/ रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 13 के मन में बदयानती आ गयी एवं वह लटठ के बल पर उक्त आराजी को वादी/रैस्पो0 संख्या 01 से हडपना चाहते हैं। अतः वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/रैस्पो0 संख्या 01 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 13 के विवादित आराजी से नाम कलमजद कर वादी/रैस्पो0 संख्या 01 के नाम खातेदारी अंकन करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2010 से मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में धारा 96 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अपीलाण्ट तरतीवी प्रतिवादी संख्या 13 का पुत्र है। हरिचरन ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश किया गया था। जबकि उन्हें उक्त राजीनामा पेश करने के कोई अधिकार हासिल नहीं है। विवादित आराजी पैतृक आराजी है एवं उसमें अपीलांट के जन्म से ही अधिकार हासिल हैं। पिता हरचरन के राजीनामा से अपीलाण्ट बाध्य नहीं है। उक्त राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित करकर विवादित आराजीयात बाबत् जो अधिकार बदले हैं वह गलत हैं। लोकनीती के विरूद्व राजीनामा कानूनन सही नहीं है। अपीलाण्ट के हिस्से राजीनामे से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते हैं। हंसा की मृत्यु के बाद काफी समय तक रैस्पो0 संख्या 01 ने कार्यवाही क्यों नहीं की। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये अपीलाण्ट के हक तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2018 पेज 637 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पंक्ति में राजीनामा को गलत नहीं बताया है। अपीलाण्ट के अपील मीमो के बिन्दुओ पर कोई बहस नहीं की। अपील मीमो के बिन्दुओ से बाहर जाकर बहस की गयी है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमो में कही भी राजीनामा को गलत नहीं बताया है। पिता के राजीनामा से अपीलाण्ट बाध्य हैं। धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लागू नहीं होती, धारा 8 लागू होती है। इसके अलावा पिता के जीवित रहते पुत्रो को विवादित आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अपीलांट विवादित आराजी में सहखातेदार नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही थे। अतः अपीलाधीन आदेश से उन्हें परिवेदित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील

नहीं माना जा सकता है। अपील मीमो में हरचरन के राजीनामा को कही भी चैलेन्ज हीं नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम धारा 96 पर विचार किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलांट की पैतृक आराजी है जो कि अपीलाण्ट ने अपने पिता हरचरन के साथ वहिस्सावराबर अपने बाबा नत्थी से विरासत में प्राप्त की है। रैस्पो0 संख्या 01 ने गलत रूप से अपीलाण्ट की आराजी पर विवादित निर्णय पारित करा लिया। जबकि विवादित आराजी में रैस्पो0 संख्या 01 का कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गयी। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने अपील मीमो में कही भी राजीनामा को गलत नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलाण्ट बाध्य हैं। इसके अलावा अपीलांट राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर सहखातेदार नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही थे। अतः अपीलाधीन आदेश से उन्हें परिवेदित नहीं माना जा सकता है। यदि अपीलाण्ट अपने पिता द्वारा किये गये राजीनामा से व्यथित थे तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में ही विधि अनुसार उक्त डिक्री को निरस्त कराने हेतु उपचार खोजना चाहिए था। इसके अलावा पूर्व में हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.04.2015 से अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा विड्रा कर ली गयी थी एवं अपीलाण्ट संख्या 01 के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी में खारिज हुयी। जिस पर अपीलाण्ट संख्या 01 नैमीचन्द द्वारा बाजवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये, अपने पिता हरचरन एवं भाई प्रमोद कुमार को तरतीवी रैस्पो0 बनाया गया है, जो बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलाण्ट को, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से परिवेदित नहीं माना जा सकता। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2010 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04-04-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर